डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजीयन क्रमांक रायपुर डिवीजन

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 182] रायपुर, शनिवार, दिनांक 25 अगस्त 2001—भाद्र 3, शक 1923

वन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 25 अगस्त 2001

अधिसूचना

क्रमांक एफ 7-7/व.सं./2001.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का सं. 16) की धारा 41 तथा 42 के साथ पठित धारा 76 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, वनोपज के अभिवहन को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ :—**
   1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम छतीसगढ़ अभिवहन (वनोपज) नियम, 2001 है.
   2. इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ पर होगा.
   3. ये नियम छत्तीसगढ़ राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. **परिभाषा :—**
   इन नियमों में "अधिनियम" से अभिप्रेत है, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का सं. 16).

3. **पासों के माध्यम से वनोपज के अभिवहन का विनियमन :—**
   किसी भी वनोपज का, छत्तीसगढ़ राज्य में या उसके बाहर या उसके भीतर, इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति के सिवाय, इन नियमों से संलग्न प्ररूप क, ख या ग में अभिवहन पास के बिना गमनागमन नहीं किया जाएगा. अभिवहन पास, किसी वन अधिकारी या ग्राम पंचायत या ऐसा पास जारी करने के लिए इन नियमों के अधीन सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा जारी किया जाएगा :

परन्तु कोई भी अभिवहन पास—

(क) किसी ऐसी वनोपज को, जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किसी ऐसे ग्राम की सीमाओं के भीतर, जिसमें यह पैदा हुई हो, राज्य सरकार द्वारा निमित्त दिए गए विशेषाधिकार या अधिनियम के अधीन मान्य किए गए अधिकार का प्रयोग करते हुए वास्तविक घरेलू उपभोग के लिए हटाई जा रही है,

(ख) ऐसी वनोपज को, जिसे राज्य सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इन नियमों के प्रवर्तन से छूट दी जाए,

(ग) ऐसी वनोपज को, जो तत्समय प्रवृत्त इस निमित्त बनाए गए नियमों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी की गई धन संबंधी रसीद (मनी रिसीप्ट)/रेटेड पास/वनोपज पास/कार्टिंग चालान के अन्तर्गत आती हो,

(घ) लघु वनोपज को, वन से स्थानीय बाजार को या संग्रहण केन्द्र को या घरेलू उपभोग के लिए हटाने के लिए अपेक्षित नहीं होगा.

4. **पास जारी करने वाले अधिकारी और व्यक्ति :—**

इन नियमों के अधीन निम्नलिखित अधिकारियों और व्यक्तियों को अभिवहन पास जारी करने की शक्ति होगी—

(क) उस वनोपज के लिए, जो सरकार की हो, डिवीजनल फारेस्ट अधिकारी, सब डिवीजनल फारेस्ट आफिसर या कोई अन्य अधिकारी, जो डिवीजनल फारेस्ट आफिसर, द्वारा लिखित में इस निमित्त प्राधिकृत किया गया हो.

(ख) किसी व्यक्ति के स्वामित्व की वनोपज के लिए, डिवीजनल फारेस्ट आफिसर या ऐसा कोई अधिकारी या ऐसा अन्य व्यक्ति, जो डिविजनल फारेस्ट आफिसर द्वारा लिखित में प्राधिकृत किया गया हो या ग्राम पंचायत जिसकी अधिकारिता में वनोपज पाई गई हो या पैदा हुई हो—

(1) निम्नलिखित प्रजाति के काष्ठ तथा ईंधन के परिवहन के लिए अभिवहन पास की आवश्यकता नहीं होगी :—

(एक) कैसूरिना - कैसूरिना इक्वेजेटिफोलिया
(दो) सूबबूल - ल्यूसेनिया प्रजातियां
(तीन) पापलर - पाप्युलस प्रजातियां
(चार) इजरायली बबूल - एकेशिया टॉरटिलिस
(पांच) विलायती बबूल - प्रोसोपिस जुलिफ्लोरा
(छ:) मेन्जियम - अकेशिया मेन्जियम

(2) प्राइवेट भूमि (भूमिस्वामी) में पाये गये वृक्षों से अभिप्राप्त काष्ठ तथा ईंधन के परिवहन के लिए अभिवहन पास नीचे अधि-कथित की गई प्रक्रिया के अनुसार जारी किया जाएगा :—

(क) निम्नलिखित प्रजातियों के काष्ठ/ईंधन के परिवहन के लिए अभिवहन पास, इस प्रयोजन के लिए सम्यक् रूप से गठित "पंचायत स्तर समिति" (जिसमें कि सरपंच, वर्तमान सरपंच के पूर्ववर्ती, बीट गार्ड, पटवारी तथा वनसुरक्षा समिति/ग्राम वन समिति के अध्यक्ष सम्मिलित होंगे), की सिफारिश के अनुसार पंचायत द्वारा जारी किया जाएगा. (समिति की अनुशंसा पंचायत द्वारा संधारित पंजी में अभिलिखित की जायेगी) :—

(एक) बबूल - अकेशिया निलोटिका
(दो) सिरिस - अल्बीजिया प्रजातियां
(तीन) नीम - अजाडरक्टा इंडिका
(चार) बेर - जिजुफस प्रजातियां
(पांच) पलास - ब्यूटिया मोनोस्पर्मा
(छ:) जामुन - साइजेजियम कुमिनी
(सात) रिमझा - अकेशिया ल्यूकोफ्लोइया

(ख) 4 (ख) (1) तथा 4 (ख) (2) (क) में उल्लिखित से भिन्न समस्त प्रजातियों के काष्ठ/ईंधन के लिए अभिवहन पास, पंचायत स्तर समिति की सिफारिश के अनुसार, डिवीजनल फारेस्ट आफिसर द्वारा प्राधिकृत वन अधिकारी [जो वनपाल (फारेस्टर) से अनिम्न श्रेणी का न हो], के द्वारा जारी किया जाएगा.

(ग) जिले के भीतर वनोपज का परिवहन करने के लिए ग्राम पंचायत या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति अभिवहन पास जारी करेगा. जिले से बाहर वनोपज का परिवहन करने के लिए अभिवहन पास, डिवीजनल फारेस्ट आफिसर द्वारा प्राधिकृत वन अधिकारी (फारेस्ट आफिसर) द्वारा जारी किया जाएगा.

(घ) अभिवहन पास जारी करने के लिए, सुसंगत दस्तावेजों तथा जानकारी के साथ आवेदन प्रस्तुत करने पर, आवेदन प्राप्ति की तारीख से 45 दिन के भीतर अभिवहन पास जारी किया जाएगा.

(ङ) लोक वानिकी मिशन के अधीन निजी स्वामित्व के काष्ठ का परिवहन भी ऊपर विहित प्रक्रिया के अनुसार ही किया जाएगा.

(च) निर्धारित समयावधि में अभिवहन पास जारी नहीं करने के लिए जिम्मेदार अधिकारी/व्यक्ति के विरुद्ध सक्षम अधिकारी द्वारा कार्रवाई की जाएगी.

5. **अभिवहन पास जारी करने के लिए शुल्क की दरें :—**

राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर प्राधिकृत किया गया कोई अधिकारी, नियम 4 के उपबंधों के अनुसार अभिवहन पास जारी करने के लिए फीस की दरें नियत करेगा.

6. **अभिवहन पास की विषयवस्तु :—**

(1) नियम 3 के अधीन जारी किए गए प्रत्येक अभिवहन पास में निम्नलिखित विनिर्दिष्ट किया जाएगा :—

(क) उस व्यक्ति का नाम, जिसे ऐसा पास मंजूर किया गया है.

(ख) उसके अन्तर्गत आने वाली वनोपज की मात्रा और विवरण, लट्ठों की दशा में नाप सहित एक सूची अभिवहन पास के साथ संलग्न की जाएगी.

(ग) स्थान, जहां से तथा जहां तक ऐसी वनोपज का परिवहन किया जाना है.

(घ) वह मार्ग, जिससे ऐसी वनोपज का परिवहन किया जाना है.

(ङ) वह कालावधि जिसके लिए पास प्रवृत्त रहेगा.

(च) हथौड़े के वैध चिन्ह की छाप.

(2) अभिवहन पास, इन नियमों से संलग्न प्रारूप क, ख, या ग में नीचे उपदर्शित किये गये अनुसार जारी किया जावेगा :—

प्ररूप-क- वन अधिकारी या इस संबंध में प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा जारी किया जाए.

प्ररूप-ख- ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया जाए.

प्ररूप-ग- डिवीजनल फारेस्ट आफिसर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, जो फारेस्टर की पद श्रेणी से निम्न पद श्रेणी का न हो, राज्य के बाहर से आने वाली वनोपज के लिए निर्यातक राज्य के अभिवहन पास के स्थान पर जारी किया जाए.

(3) अभिवहन पास की प्रत्येक पुस्तक के बारे में संदेय राशि प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रिंसीपल चीफ कंजरवेटर ऑफ फारेस्ट) छत्तीसगढ़ द्वारा समय-समय पर विहित की जायेगी.

(4) अभिवहन पास दो प्रतियों में और पुस्तकों के रूप में जिल्दबंद होगा, जो डिवीजनल फारेस्ट आफिसर से अभिप्राप्त किया जायेगा. प्रत्येक पुस्तक पर एक पहचान क्रमांक होगा और प्रत्येक पुस्तक के पास, क्रम से संख्यांकित किये जाने चाहिये. प्रथम प्रति प्रतिपर्ण होगी तथा द्वितीय प्रति उपज के भारसाधक व्यक्ति को दी जायेगी.

7. **प्रत्येक लोड के लिये पृथक् पास होगा :—**

किसी भी अभिवहन पास में सामान्यत: एक लोड से अधिक का समावेश नहीं होगा, चाहे ऐसे लोड का किसी व्यक्ति, किसी पशु द्वारा या किसी यान में वहन किया जाए.

8. **पास को बिगाड़ा नहीं जायेगा :—**

किसी अभिवहन पास में मार्ग और कालावधि के विषय को छोड़कर मुद्रित या लिखित किसी बात में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा और यह केवल किसी वन अधिकारी द्वारा, जो फारेस्टर की पद श्रेणी से निम्न पद श्रेणी का न हो, अभिवहन पास में उल्लेखित किये जाने वाले पर्याप्त कारणों से किया जा सकेगा.

9. **निरंक पास की पुस्तकों का उन्हें जारी करने के लिये प्राधिकृत व्यक्तियों या ग्राम पंचायत को प्रदाय किया जाना :—**

(1) जब डिवीजनल फारेस्ट आफिसर नियम-4 के खण्ड (ख) तथा (ग) के अधीन किसी अधिकारी या व्यक्ति को अभिवहन पास जारी करने के लिये प्राधिकृत करता है तो वह ऐसे अधिकारी या ऐसे व्यक्ति या ग्राम पंचायत, को, निरंक पास की अभिप्रमाणीकृत पुस्तकें समय-समय पर देगा.

(2) प्राधिकृत व्यक्ति या ग्राम पंचायत, जिसको ऐसी पुस्तक प्रदाय की गई है, नियम 6 के उपनियम (3) के अधीन यदि कोई राशि नियत की गई हो, तो उसका संदाय करेगा.

(3) कोई व्यक्ति, जिसे पास जारी करने के लिये प्राधिकृत किया गया है, उसके प्राधिकार की शर्तों के अनुसार ही अभिवहन पास जारी करेगा.

10. उपयोग किये गये अभिवहन पासों के प्रतिपर्णों के लेखों का वापिस किया जाना :—

(1) ग्राम पंचायत या कोई व्यक्ति जिसको अभिवहन पास की पुस्तक प्रदाय की गई है, डिवीजनल फॉरेस्ट आफिसर को, उसके द्वारा जारी किये गये अभिवहन पास पर उद्धरित वनोपज का मासिक लेखा प्रस्तुत करेगा.

(2) उपयोग किये गये तथा उपयोग न किये गये समस्त अभिवहन पासों के प्रतिपर्ण (काउंटर फाइल) यदि कोई हो, उस अधिकारी को वापिस किये जाएंगे, जिससे पासों की पुस्तक प्राप्त की गई थी. जब तक पूर्व में उपयोग किये गये समस्त पासों के प्रतिपर्ण वापिस नहीं किये जाते, अभिवहन पास की नई पुस्तक (बुक) का प्रदाय नहीं किया जायेगा.

11. मांग किये जाने पर प्रतिपर्णों का निरीक्षण के लिये प्रस्तुत किया जाना :—

ग्राम पंचायत या कोई व्यक्ति, जिसे नियम 4 के खंड (ग) के अधीन अभिवहन पास जारी करने के लिये प्राधिकृत किया गया है, यदि किसी वन अधिकारी द्वारा, जो फारेस्टर की पद श्रेणी से निम्न पद श्रेणी का न हो ऐसी अपेक्षा की जाये तो वह समस्त ऐसे पासों के प्रतिपर्णों को, जो ऐसे व्यक्ति या ग्राम पंचायत द्वारा जारी किये गये हैं, निरीक्षण के लिये पेश करने या वापस करने के लिये आबद्ध होगा.

12. अभिवहन पास जारी करने के प्राधिकार के रद्दकरण या अवधि समाप्ति पर प्रक्रिया :—

यदि नियम 4 के खण्ड (ग) के अधीन दिया गया प्राधिकार रद्द कर दिया जाता है अथवा प्राधिकृत की गई विनिर्दिष्ट अवधि समाप्त हो जाती है, तो ऐसा व्यक्ति जिसका प्राधिकार इस प्रकार रद्द कर दिया गया है, अभिवहन पासों की उपयोग में न लाई गई प्रत्येक पुस्तक तथा उसके कब्जे में की ऐसी पुस्तक के उपयोग में न लाये गये भाग, उपयोग में लाये गये अभिवहन पासों के प्रतिपर्ण के साथ, यदि कोई हो, जो पूर्व में वापिस न किये गये हों, उस अधिकारी को, जिसने उसे प्राधिकार दिया है, तत्काल वापिस करेगा.

13. अधिकारी या ग्राम पंचायत या प्राईवेट व्यक्तियों द्वारा उपयोग में लाये गये अभिवहन पास कब अविधिमान्य होंगे :—

ग्राम पंचायत या प्राधिकृत किसी अधिकारी या व्यक्ति द्वारा जारी किये गये अभिवहन पास विधिमान्य नहीं होंगे :—

(क) यदि ऐसा अभिवहन पास, नियम 9 के उप-नियम (1) के अधीन इस प्रयोजन के लिये प्रदाय किये गये निरंक प्ररूप पर तैयार न किया गया हो.

(ख) यदि अभिवहन पास ग्राम पंचायत स्तर समिति की सिफारिशों के अंतर्गत नहीं आता है, या

(ग) यदि अभिवहन पास ऐसे अधिकारी या व्यक्ति या ग्राम पंचायत द्वारा ऐसा अनुज्ञा-पत्र जारी करने का प्राधिकार रद्द करने वाले आदेश की प्राप्ति के पश्चात् जारी किया गया हो.

14. काष्ठ पर संपत्ति तथा अभिवहन चिन्हों का लगाया जाना :—

किसी भी काष्ठ का छत्तीसगढ़ के किसी भी जिले से या जिले के भीतर तब तक गमनागमन नहीं किया जाएगा, जब तक कि उस पर ऐसी डिजाइन का शासकीय अभिवहन चिन्ह या ग्राम पंचायत का सम्पत्ति चिन्ह न हो, जैसा कि इस निमित्त डिवीजनल फारेस्ट आफिसर द्वारा समय-समय पर, विहित किया जाए.

15. सम्पत्ति चिन्हों का पंजीयन :—

(1) प्रत्येक ग्राम पंचायत को, आवेदन करने पर, डिवीजनल फारेस्ट आफिसर द्वारा एक सम्पत्ति चिन्ह आवंटित किया जायेगा, जो उस काष्ठ के प्रत्येक टुकड़े पर लगाया जाएगा, जिसके लिए ग्राम पंचायत द्वारा अभिवहन पास जारी किया जाना है.

(2) कोई भी व्यक्ति उसके स्वामित्व की काष्ठ पर सम्पत्ति चिन्ह के लिए डिवीजनल फारेस्ट आफिसर को आवेदन कर सकेगा जो उस डिवीजन के डिवीजनल फारेस्ट कार्यालय में पंजीकृत होगा, जिसमें उसका परिवहन किया जाना है.

(3) प्रत्येक सम्पत्ति चिन्ह डिवीजनल फारेस्ट द्वारा अनुमोदित निर्धारित आकृति का होगा :—

परन्तु किसी भी व्यक्ति को ऐसा चिन्ह पंजीकृत किए जाने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी, जो किसी दूसरे व्यक्ति या ग्राम पंचायत द्वारा पूर्व में ही पंजीकृत किए गए या राज्य सरकार द्वारा प्रयुक्त लिये गये चिन्ह के समरूप है, या जिसके संबंध में भ्रम हो सकता है. ऐसे विवाद की दशा में, कि पंजीयन के लिए प्रस्तावित चिन्ह पूर्व में पंजीकृत किसी अन्य चिन्ह से अत्यधिक समानता रखता है या नहीं, डिवीजनल फारेस्ट आफिसर का विनिश्चय अंतिम होगा.

(4) पंजीयन के लिए 50/- रुपये फीस देय होगी और ऐसा पंजीयन, पंजीयन की तारीख से उस वर्ष की 31 दिसम्बर तक प्रभावी होगा.

(5) आकृति (डिवाइस) प्रदर्शित करने वाला पंजीयन का प्रमाण-पत्र, अपना चिन्ह पंजीयन कराने वाले प्रत्येक व्यक्ति को डिवीजनल फारेस्ट आफिसर द्वारा दिया जायेगा.

16. वनोपज को दिन के प्रकाश में ही हटाया जायेगा :—

डिवीजनल फारेस्ट आफिसर की लिखित में विशेष अनुज्ञा के सिवाय, किसी भी वनोपज का, सूर्यास्त के पश्चात् तथा सूर्योदय के पूर्व के समय के बीच, वनों के भीतर परिवहन नहीं किया जायेगा.

17. वनोपज के आयात हेतु पंजीयन :—

(1) कोई भी व्यक्ति, जो छत्तीसगढ़ राज्य में वनोपज आयात करने का आशय रखता है, स्वयं को संबंधित डिवीजनल फारेस्ट आफिसर के कार्यालय में पंजीकृत करवाएगा, जहां कि वन उपज का परिवहन किया जाना है.

(2) डिवीजनल फारेस्ट आफिसर, पंजीयन के लिए अवेदन प्राप्त होने पर आवश्यक सत्यापन के पश्चात् और आवेदक द्वारा रु. 500/- का भुगतान कर दिए जाने पर पंजीकृत करेगा तथा आवेदक को प्ररूप-घ में आयात का पंजीयन प्रमाण-पत्र देगा तथा ऐसा पंजीयन, कलेण्डर वर्ष के लिए विधि मान्य होगा.

(3) जिस अभिवहन पास से वनोपज का आयात करना है, उसका प्ररूप डिवीजनल फारेस्ट आफिसर के कार्यालय में जिसके क्षेत्राधिकार में आयात करना आशयित हो, पंजीकृत किया जायेगा. पंजीकृत प्ररूप की सूचना सीमा जांच नाके को दी जावेगी. काष्ठ का आयात करने वाला व्यक्ति, उसका तिमाही लेखा, संबंधित डिवीजनल फारेस्ट आफिसर को प्ररूप-ङ में प्रस्तुत करेगा.

18. राज्य के बाहर से आने वाली वनोपज हेतु अभिवहन पास :—

(1) (क) ऐसी समस्त वनोपज, जो छत्तीसगढ़ राज्य में आयात की जा रही है, निर्यातक राज्य द्वारा जारी किए गए, अभिवहन पास के अंतर्गत होनी चाहिए तथा काष्ठ के मामले में प्रत्येक टुकड़े (पीस) पर तथा अभिवहन पास पर उपदर्शित हथौड़े की छाप होनी चाहिए.

(ख) छत्तीसगढ़ राज्य के सीमा जांच नाके (बार्डर चैकिंग बेरियर) पर मूल अभिवहन पास के स्थान पर इस संबंध में प्राधिकृत वन अधिकारी द्वारा नया अभिवहन पास जारी किया जाएगा और मूल अभिवहन पास नाके पर जमा कर लिया जायेगा.

(ग) ऐसी दशा में, जब वनोपज छत्तीसगढ़ राज्य में से होकर जा रही हो, प्रथम सीमा जांच नाके से अंतिम गन्तव्य तक के लिये, राज्य के अंतिम सीमा जांच नाके को उल्लिखित करते हुए अभिवहन पास जारी किया जाएगा.

(2) प्रत्येक अभिवहन पास ऐसे प्ररूप में होगा, जो उस डिवीजन के डिवीजनल फारेस्ट आफिसर के कार्यालय में पंजीकृत किया गया हो, जिसमें उसके अधीन वनोपज का आयात किया जाना चाहा गया हो.

19. सरकारी चिन्हों की नकल नहीं की जाएगी या उन्हें मिटाया नहीं जाएगा :—

वन अधिकारी या ग्राम पंचायत द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति से भिन्न कोई भी व्यक्ति, जिसका कर्त्तव्य ऐसे चिन्हों का उपयोग करना है, किसी सरकारी अभिवहन चिन्ह या ऐसे चिन्ह, जिससे सरकार की काष्ठ चिन्हांकित की गई हो, के समरूप या उसके अतिसदृश्य कोई सम्पत्ति चिन्ह, काष्ठ के लिए उपयोग में नहीं लायेगा और कोई भी व्यक्ति जब कोई काष्ठ किसी अधिकारी, ग्राम पंचायत या नियम 4 के खण्ड (ग) के अधीन इस निमित्त प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा जारी पास के अधीन अभिवहन में हो, उस पर के किसी चिन्ह को परिवर्तित नहीं करेगा या उसे नहीं मिटायेगा.

20. अभिवहन के दौरान कतिपय अधिकारियों द्वारा वनोपज को रोका जा सकेगा तथा उसकी जांच की जा सकेगी :—

(1) अभिवहन की जा रही कोई वनोपज, जिस पर ये नियम लागू होते हैं, और ऐसी वनोपज को वहन करने वाले पशु, यान, जलयान या क्राफ्ट, को कोई वन, पुलिस या राजस्व अधिकारी द्वारा किसी भी स्थान पर रोका जा सकेगा, निरुद्ध किया जा सकेगा, उसका परीक्षण किया जा सकेगा या उसकी जांच की जा सकेगी. यदि ऐसे अधिकारी को यह संदेह करने के युक्तियुक्त आधार हों कि उसका अभिवहन, इन नियमों के उल्लंघन में किया जा रहा है या उसके संबंध में सरकार को शोध्य किसी धन का भुगतान नहीं किया गया है या यह कि उसके संबंध में कोई वन संबंधी अपराध किया गया है या किया जा रहा है :

परन्तु ऐसा कोई अधिकारी किसी वनोपज को, जो वैध रूप से अभिवहन में है, तंग करने की दृष्टि से या अनावश्यक रूप से निरुद्ध नहीं करेगा और न ही ऐसी वनोपज को तंग करने की दृष्टि से या वनोपज का परीक्षण करने के प्रयोजन के लिये अनावश्यक रूप से उतारेगा या उतरवायेगा.

(2) ऐसी वनोपज का भारसाधक व्यक्ति, ऐसे किसी अधिकारी को समस्त जानकारी, जो वह उसके संबंध में देने में समर्थ हो, देगा और यदि वह वनोपज को अभिवहन पास के अधीन हटा रहा है तो ऐसा पास, मांग किए जाने पर ऐसे अधिकारी के निरीक्षण के लिए पेश

करेगा तथा ऐसे अधिकारी द्वारा वनोपज को रोके जाने या परीक्षण किए जाने को किसी भी प्रकार से नहीं रोकेगा या उसका विरोध नहीं करेगा.

(3) (क) अभिवहन के दौरान प्रत्येक वनोपज, मार्ग पर वन नाके (जॉच नाके) पर जांच के लिए प्रस्तुत की जाएगी.

(ख) जांच नाके का भारसाधक, उसमें दिए गये ब्यौरों के अनुसार मात्रा की तथा अनुज्ञा पत्र पर यथादर्शित हथौड़ा चिन्ह की छाप की जांच तथा सत्यापन करेगा. वनोपज की वैधता का समाधान हो जाने के पश्चात् अभिवहन पास में उल्लेखित ब्यौरों की प्रविष्टि इस प्रयोजन के लिए नाके पर रखे रजिस्टर में की जायेगी तथा इस प्रकार की गई प्रविष्टि के सामने वनोपज का वहन करने वाले यान के चालक के हस्ताक्षर अभिप्राप्त किए जायेंगे. जांच नाके का भारसाधक, अभिवहन पास में विहित किए गए स्थान पर तारीख सहित अपने हस्ताक्षर करेगा तथा मुहर लगाएगा.

(4) यदि कोई फर्क या अनियमितताएं ध्यान में आती हैं, तो भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 52 के उपबंध लागू होंगे.

21. काष्ठ के संपरिवर्तन का प्रतिषेध :--

वन विभाग के नियंत्रण के किसी आरक्षित, संरक्षित या अवर्गीकृत वनों की सीमाओं के भीतर तथा ऐसी सीमाओं के अस्सी किलोमीटर के भीतर कोई भी व्यक्ति, किसी वन अधिकारी की, जो वन संरक्षक (कंजरवेटर ऑफ फारेस्ट) की पद श्रेणी से निम्न पद श्रेणी का न हो लिखित पूर्व मंजूरी के बिना चारकोल या कत्थे का विनिर्माण नहीं करेगा.

22. नियमों का भंग करने पर शास्ति :—

(1) जो कोई इन नियमों के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन करता है या प्राधिकार के बिना अथवा इन नियमों के उपबंधों के उल्लंघन में अभिवहन अनुज्ञा-पत्रों को जारी करता है, वह ऐसी अवधि के कारावास से, जो एक वर्ष तक की हो सकेगी या ऐसे जुर्माने से, जो दस हजार रुपये तक हो सकेगा या दोनों से दण्डनीय होगा.

(2) ऐसे मामलों में, जहां अपराध सूर्यास्त के पश्चात् और सूर्योदय के पूर्व विधिपूर्ण प्राधिकारी के प्रतिरोध के लिए तैयारी के साथ किया जाता है, या जहां अपराधी पूर्व में ऐसे ही अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया जा चुका है तो अधिरोपित की जाने वाली शास्ति, ऊपर उपनियम (1) में वर्णित शास्ति से दुगनी होगी.

23. निरसन :—

इन नियमों के प्रवृत्त होने पर, इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी क्षेत्र में प्रवृत्त इन नियमों के तत्स्थानी समस्त नियम निरस्त हो जाएंगे :

परन्तु इस प्रकार निरसित किन्हीं भी नियमों के अधीन की गई किसी बात या किसी कारवाई के बारे में जब तक ऐसी कोई बात या कारवाई, इन नियमों के किन्हीं उपबंधों से असंगत न हो, यह समझा जाएगा कि वह इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम प्रकाश, अपर सचिव.

प्ररूप-क

[नियम 6 (2) देखिए]

पुस्तक क्रमांक (1)	प्रतिपर्ण अभिवहन पास (2)	पृष्ठ क्रमांक (3)
1.	भंडारण का स्थान	
	(क) परिक्षेत्र (रेंज)	:—
	(ख) डिवीजन (वन मण्डल)	:—
2.	निजी भूमि से प्राप्त काष्ठ हेतु	:—
	(क) पंचायत का नाम	
	(ख) ग्राम का नाम	
	(ग) भूमिस्वामी का नाम	
	(घ) खसरा क्रमांक	
	(ङ) पंचायत स्तरीय समिति की अनुशंसा क्रमांक तथा दिनांक	
3.	वनोपज के स्वामी का नाम तथा पता	:—
4.	वनोपज का विवरण तथा मात्रा	:—
5.	सम्पत्ति चिन्ह आदि	:—
6.	उस स्थान का नाम, जहां वनोपज का परिवहन किया जाना है	:—
7.	मार्ग, जिसके द्वारा वनोपज का परिवहन किया जाना है	:—
8.	अभिवहन अनुज्ञा-पत्र के अवसान की तारीख	:—

जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मुहर

जांच करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मुहर

टिप्पणी :—1. द्वितीय पर्ण, प्रतिपर्ण के समान होगा.

2. इस अनुज्ञा-पत्र की जांच मार्ग पर पड़ने वाले, छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जांच नाकों पर कराई जाये.

प्ररूप-ख

[नियम 6 (2) देखिए]

ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया जाएगा

पुस्तक क्रमांक (1)	प्रतिपर्ण अभिवहन पास (2)	पृष्ठ क्रमांक (3)
1.	(पंचायत स्तर समिति की) अनुशंसा क्रमांक तथा दिनांक	:—
2.	उद्‌गम स्थान	
	(क) पंचायत का नाम	:—
	(ख) ग्राम का नाम	:—
	(ग) भूमिस्वामी का नाम	:—
	(घ) खसरा क्रमांक	:—
3.	वनोपज के स्वामी का नाम तथा पता	:—
4.	वनोपज का विवरण	
	(क) प्रजाति	:—
	(ख) नग एवं मात्रा घ. मी. (ईमारती काष्ठ)	:—
	(ग) चट्टों की संख्या (2 × 1 × 1 मी.) जलाऊ हेतु	:—
5.	सम्पत्ति चिन्ह	:—
6.	उस स्थान का नाम, जहां वनोपज का परिवहन किया जाना है	:—
7.	मार्ग, जिसके द्वारा वनोपज का परिवहन किया जाना हैं	:—
8.	अभिवहन अनुज्ञा-पत्र के अवसान की तारीख	:—

जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मुहर

जांच करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मुहर

टिप्पणी :—1. द्वितीय पर्ण, प्रतिपर्ण के समान होगा.

2. इस अनुज्ञा-पत्र की जांच मार्ग पर पड़ने वाले, छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जांच नाकों पर कराई जाये.

प्ररूप-ग

[नियम 6 (2) देखिए]

राज्य के बाहर से आने वाली वनोपज के अभिवहन पास के बदले जारी किया जाए

पुस्तक क्रमांक (1)	प्रतिपर्ण अभिवहन पास (2)	पृष्ठ क्रमांक (3)
1.	उद्गम का स्थान	
	(क) स्थान का नाम	:—
	(ख) वन/डिपो का नाम तथा प्रस्थिति (स्टेटस)	:—
	(ग) विक्रेता का नाम	:—
2.	वनोपज के स्वामी का नाम तथा पता	:—
3.	अन्य राज्य के अभिवहन पास का विवरण	
	(क) क्रमांक तथा दिनांक	:—
	(ख) जारी करने वाला प्राधिकारी	:—
4.	वन उपज का विवरण तथा मात्रा	:—
5.	सम्पत्ति चिन्ह आदि	:—
6.	उस स्थान का नाम, जहां उपज का परिवहन किया जाना है	:—
7.	सीमा जांच नाके (बेरियर) का नाम	:—
8.	मार्ग, जिससे उपज का परिवहन किया जाना है	:—
9.	अभिवहन पास के अवसान की तारीख	:—
10.	हथौड़े का चिन्ह (हैमर मार्क)	:—

जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मुहर

जांच करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मुहर

टिप्पणी :—1. द्वितीय पर्ण, प्रतिपर्ण के समान होगा.

2. इस अनुज्ञा-पत्र की जांच मार्ग पर पड़ने वाले, छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जांच नाकों पर कराई जाये.

प्ररूप-घ

[नियम 17 (2) देखिए]

वनोपज के आयात का पंजीयन प्रमाण-पत्र

पुस्तक क्रमांक (1)	पृष्ठ क्रमांक (2)

1. वनोपज के आयातकर्त्ता का नाम तथा पता :—

2. आयात की जाने वाली वनोपज का विवरण

   (क) देश/राज्य, जहां से वनोपज आयात की जाए :—

   (ख) आयात की जाने वाली वनोपज का नाम तथा अनुमानित मात्रा. :—

3. मार्ग, जिससे गंतव्य स्थान तक उसका परिवहन किया जाएगा. :—

4. गंतव्य स्थान का नाम :—

5. जांच नाका/डिपो का नाम, जहां वनोपज जांच हेतु प्रस्तुत की जावेगी. :—

6. पंजीयन की तारीख :—

7. पंजीयन के अवसान की कालावधि :—

पंजीयन प्राधिकारी के हस्ताक्षर तथा उसका पदनाम

प्ररुप – ङ

(नियम 17 (3) देखिए)

———————— से ———————— के दौरान आयातित तथा व्ययनित काष्ठ का तिमाही लेखा

प्रजाति	आरंभिक अतिशेष			आयातित काष्ठ की मात्रा		योग			चिरान काष्ठ			चिराई के पश्चात की कुल मात्रा			उपभोग की गई या विक्रय द्वारा व्ययन की गई मात्रा			तिमाही के अन्त में अंतिम अतिशेष			टिप्पणियां
	लठ्ठा		चिरान सामग्री	लट्ठा		लट्ठा		चिरान	लट्ठा		चिरान	लट्ठा		चिरान	लट्ठा		चिरान	लट्ठा		चिरान	
	संख्या	घन मीटर	घन मीटर	संख्या	घन मीटर	संख्या	घन मीटर	घन मीटर	संख्या	घन मीटर	घन मीटर प्राप्त	संख्या	घन मीटर	घन मीटर	संख्या	घन मीटर	घन मीटर	संख्या	घन मीटर	घन मीटर	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

रायपुर, दिनांक 25 अगस्त 2001

क्रमांक एफ 7-7/व.सं./2001.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ अभिवहन (वनोपज) नियम 2001 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम प्रकाश, अपर सचिव.

Raipur, the 25th August 2001

NOTIFICATION

No. F 7-7/व.सं/2001.—In exercise of the powers conferred by Section 76 read with Sections 41 & 42 of Indian Forest Act, 1927, (No. XVI of 1927) the State Government hereby makes the following rules for regulating transit of forest produce namely :—

RULES

1. **Short-title extent and commencement :—**
(1) These rules shall be called the Chhattisgarh Transit (Forest Produce) rules, 2001.
(2) They shall extend to the whole of Chhattisgarh.
(3) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Chhattisgarh Gazette.

2. **Definition :—**
In these rules "Act" means the Indian Forest Act, 1927 (No. XVI of 1927)

3. **Regulation of Transit of forest produce by means of passes :—**
No forest produce shall be moved into or out side the State or within the State of Chhattisgarh except in the manner as herein after provided without a transit pass in form A, B or C annexed to these rules. The Transit Pass will be issued by a Forest Officer or Gram Panchayat or a person duly authorised under these rules to issue such pass :

Provided that no transit pass shall be required for the removal—
(a) Of any forest produce which is being removed for bonafide domestic consumption by any person or in exercise of privilege granted in this behalf by the State Government or of a right recognised under the Act within the limits of a village in which it is produced.
(b) Of such forest produce as may be exempted by the State Government from the operation of these rules by notification in the official gazette.
(c) Of forest produce covered by Money receipts/Rated passes/Forest produce passes/Carting Challan issued by competent authority in accordance with the rules made in this behalf for the time being in force.
(d) Of minor forest produce from forests to the local market or to the collection centre or for bonafide domestic consumption.

4. **Officers and person to issue passes :—**
The following officers and persons shall have power to issue passes under these rules—
(A) For forest produce belonging to the Government, the Divisional Forest Officer, the Sub-divisional Forest Officer or any other officer authorised in this behalf in writing by the Divisional Forest Officer.
(B) For forest produce owned by any person, the Divisional Forest Officer or any officer or such other person authorised in writing by the Divisional Forest Officer or Gram Panchayat in whose jurisdiction the forest produce is found or grown.

1. No transit pass will be required to transport the timber and fuel of the following species—

(i)	Casuarina	-	Casuarina equisetifolia
(ii)	Subabul	-	Leuccnea Sps.
(iii)	Poplar	-	Populus Sps.
(iv)	Israili Babul	-	Acacia tortilis
(v)	Vilayati Babul	-	Prosopis Juliflora
(vi)	Manzium	-	Acacia Manzium

2. To tansport the timber and fuel obtained from the trees found in private land (Bhumi Swami) the transit pass will be issued according to the procedure laid down below :—

(a) The transit pass, for transporting timber/fuel of following species, shall be issued by the Panchayat according to the recommendation of the "Panchayat Level Committee" (consisting of Sarpanch,.......immediate predecessor of present Sarpanch, Beat Guard, Patwari and Chairman of the Village Forest Committee/Forest Protection Committee.) duly constituted for this purpose Recommendation of the committee will be duly recorded in a register maintained by Panchayat.

(i)	Babul	-	Acacia nilotica
(ii)	Siris	-	Albizzia Sps.
(iii)	Neem	-	Azadrechta indica
(iv)	Ber	-	Zizyphus Sps.
(v)	Palas	-	Butea monospema
(vi)	Jamun	-	Syzygium cumini
(vii)	Reunjha	-	Acacia leucophloea

(b) Transist pass for timber/fuel of all the species other than those mentioned under 4(B)-1 and 4 (B) 2 (a), shall be issued by the forest officer, not below the rank of Forester, authorised by the Divisional Forest Officer, according to the recommendation of the Panchayat Level Committee.

(C) Gram Panchayat or the person authorised by it shall issue the transit pass for transporting the forest produce within the district. To transport the forest produce outside the district, transit pass shall be issued by the forest officer authorised by the Divisional Forest Officer.

(D) On submission of application, for issue of transit pass, alongwith relevent document and information, the transit pass shall be issued within 45 days of receipt of the application.

(E) Transport of privately owned timber under the Lok Vaniki Mission shall also be done according to the procedure prescribed above.

(F) Action for not issuing transit pass in stipulated time period will be taken against responsible officer/person by the competent authority.

5. Rate of Fee for issue of transit pass :—

The State Government or an officer authorised by the State Government from time to time shall fix rate of fee for issue of transit pass as per the provisions of rule 4.

6. Contents of Transit Pass :—

(1) Every transit pass issued under rule 3 shall specify—

(a) The name of the person to whom such pass is granted.

(b) The quantity and description of forest produce covered by it, in case of logs, a list along with measurement shall be enclosed with the transit pass.

(c) The places from and to which such forest produce is to be conveyed.

(d) The route by which such forests produce is to be conveyed.

(e) The period of time for which the pass is to be in force.

(f) The impression of the valid hammer mark.

(2) The transit pass shall be issued in forms A, B or C as annexed to these rules, as indicated below—

Form A- To be issued by Forest Officer or the person authorised in this regard.

Form B- To be issued by Gram Panchayat.

Form C-To be issued in lieu of transit pass of the State from where the forest produce is being imported, by the officer authorised by the Divisional Forest. Officer, not below the rank of a Forester.

(3) The sum to be paid in respect of each book of Transit Pass will be such as may be prescribed by the Principal Chief Conservator of Forests, Chhattisgarh.

(4) Transit pass shall be in duplicate and bound in books, which shall be obtainable from the Divisional Forest Officer. Each shall bear an identifying number and the passes in each book shall be numbered serially. First page will be counterfoil and second page shall be given to the person in charge of the produce.

7. Separate passes for each load :—

No transit pass shall ordinarily cover more than one load, whether such load be carried by a person, an animal or a vehicle.

8. Passes not to be tampered with :—

No alteration shall be made in anything printed or written on any transit pass, except in the matter of route and period and this may only be done by a forest officer not below the rank of a forester, for sufficient reason to be mentioned in the pass.

9. Books of blank passes to be supplied to persons authorised to issue them or the Gram Panchayat :—

(1) When the Divisional Forest Officer authorises any officer or person under clause (B) and (C) of rule 4 to issue transit passes, he shall furnish such officer or such person, or the Gram Panchayat from time to time with authenticated books of blank passes.

(2) The authorised person or Gram Panchayat to whom such book is supplied shall pay the sum if as fixed under sub-rule (3) of rule 6.

(3) The person who has been authorised to issue passes shall issue transit passes only in accordance with the conditions of his authorisation.

10. Accounts of the Counter foils of used transit passes to be returned :—

(1) The Gram Panchayat or any person, to whom book of transit pass is supplied, shall submit a monthly account to the Divisional Forest Officer, of forest produce extracted though the transit passes issued by him.

(2) The counterfoils of all used transit passes and unused passes, if any, shall be returned to the officer from whom the book of passes was obtained. No fresh book of transit pass shall be supplied until the counterfoils of all passes previously used have been returned.

11. Counter folils to be produced for inspection on demand :—

Gram Panchayat or any person who has been authorised to issue transit passes under clause (C) of rule 4, shall be bound, if called upon by any forest officer not below the rank of forester, to produce for the inspection or to returned the counterfoils of all passes which have been issued by such person or Gram Panchayat.

12. Procedure on cancellation or expiry of authority to issue passes :—

If the authority given under clause (C) of rule 4, is cancelled or on the expiry of the period specified in such authority, the person whose authority is so cancelled shall forthwith return to the officer who gave the authority every unsued book of transit passes and the unused portion of any such book in his possession, together with the counterfoils of used passes, if any, which has not already been returned.

13. Transit passes used by officer or Gram Panchayat or private persons when invalid :—

No. transit pass issued by Gram Panchayat or any officer or persons authorised shall be valid—

(a) If such pass is not prepared on a blank form supplied for this purpose under sub-rule (1) of rule 9.

(b) If the pass is not covered by recommendation of the Panchayat Level Committee, or

(c) If the pass is issued after receipt by such officer or person or Gram Panchayat, of an order cancelling the authority to issue such passes.

14. Property and Transit marks to be affixed to timber :—

No timber shall be moved from or within any district of Chhattisgarh unless it bears a Government transit mark or Gram Panchayat property mark, of such design as shall be prescribed from time to time in this behalf by the Divisional Forest Officer.

15. Registration of property marks :—

(1) Every Gram Panchyat on submitting an application, shall be allotted a property mark by the Divisional Forest Officer, which shall be affixed on every timber piece for which transit pass is being issued by the Gram Panchyat.

(2) Any person may apply to the Divisional Forest Officer to have property mark to be attached to timber belonging to him registerd in the office of the Divisional Forest Officer of the Division into which it is sought to be transported.

(3) Every property mark shall consist of a device to be approved by the Divisional Forest Officer :

Provided that no person shall be allowed to register a mark identical with or liable to be mistaken with one already registered by another person or Gram Panchayat or used by the State Government. In case of dispute as to whether the mark proposed for registration has or has not too close resemblance with any other mark previously registered, the decision of the Divisional Forest Officer shall be final.

(4) A fee of Rs. 50/- shall be payable for registration and such registration shall hold good from the date of registration till the 31st December of that year.

(5) A certificate of registration showing the device, shall be given by the Divisional Forest Officer to each person registering his mark.

16. Forest produce to be removed by day light :—

Except with the special permission of the Divisional Forest Officer in writting, no forest produce shall be transported between hours of sunset and sunrise within the forests.

17. Registration for import of forest produce :—

(1) Any person, who intends to import any forest produce into the State of Chhattisgarh, shall get himself registered in the office of the concerned Divisional Forest Officer where the forest produce is to be transported.

(2) The Divisional Forest Officer upon receipt of the application for registration, after necessary verification, and on payment of Rs. 500.00 by the applicant, shall register and give the applicant registration certificate of import in Form D and such registration will be valid for the calender year.

(3) Format of transit pass for the import of forest produce shall be registered in the office of the Divisional Forest Officer, in whose jurisdiction the forest produce is intended to be imported. Registered format shall be intimated to the border checking barrier. The person importing the forest produce shall submit a quarterly account of the same to the concerned Divisional Forest Officer in Form E.

18. Transit pass for forest produce being imported into the State :—

(1) (a) All forest produce which is being imported into the State of Chhattisgarh must be covered with a Transit pass issued by the exporting state and in case of timber every piece should bear a hammer impression indicated on the transit pass.

(b) At the border-checking barrier of Chhattisgarh new transit pass shall be issued by a forest officer authorised in this regard in lieu of original pass, which shall be deposited at the barrier.

(c) In case of forest produce passing through State of Chhattisgarh, the transit pass from the first border-checking barrier shall be issued for the place of final destination, mentioning the last border-checking barrier of the State.

(2) Every transit pass must be in a form which has been registered in the office of the Divisional Forest Officer of the Division into which it is sought to be imported forest produce thereunder.

19. Government marks not to be imitated or effaced :—

No person other than a forest officer or the person authorised bythe Gram Panchayat whose duty is to use such marks, shall use any property mark for timber identical with or resembling any Government transit mark or any mark with which timber belonging to Government is marked and no person shall while any timber is in transit under a pass issued

by an officer, Gram Panchayat or person authorised in this behalf under clause (C)of rule 4, alter or efface any mark on the same.

20. Forest produce in transit may be stopped and examined by certain officer :—

(1) Any forest produce in transit to which these rules apply and any animal, vehicle, vessel or craft carrying such forest produce, may be stopped, detained, examined and checked at any place by any forest, police or revenue officer if such officer has reasonable grounds for suspecting that it is being transported in contravention of these rules or any money which is due to Government in respect thereof has not been paid or that any forest offence has been or is being committed in respect thereof.:

Provided that no such officer shall vexatiously or unnecessarily detain any forest produce which is lawfully in transit, nor vexatiously or unnecessarily unload any such forest produce or cause the same to be unloaded for the purpose of examination.

(2) The person in charge of such forest porduce shall furnish to any such officer all the information which he is able to give regarding the same, and if he is removing the same under a transit pass shall produce such pass on demand, for the inspection by such officer and shall not in any way prevent or resist the stoppage or examination of the forest produce by such officer.

(3) (a) Every forest produce in transit will be produced for checking at all the forest barriers (Checking Nakas) on route.

(b) The checking barrier-in-charge shall check and verify the quantity, as per the details given there-in and the impression of hammer mark as shown on the pass. After being satisfied of the legality of the forest produce, the details mentioned in Transit Pass will be entered in the register kept on barrier for this purpose and the signature of the driver of vehicle carrying forest produce shall be obtained against the entries so made. The In-charge of checking barrier shall put his dated signature and seal on the prescribed place in the Transit Pass.

(4) In any descrepancy or irregularities are noticed, provisions of Section 52 of Indian Forest Act, 1927 shall be applicable.

21. Prohibiting Conversion of Timber :—

Within the limits of any reserved, protected or unclassed forests under the control of the Forest Department and within eighty kilometers of such limits no person shall manufacture charcoal, or Katha without the previous sanction in writing of a forest officer not below the rank of the Conservator of Forests.

22. Penalties for breach of rules :—

(1) Who so ever contravenes any of the provisions of these rules or issues transit passes without authority or in contravention of the provision of these rules shall be punishable with imprisonment for a term, which may extend to one year or with fine, which may extend to ten thousand rupees or with both.

(2) In cases where the offence is committed after sunset and before sunrise, after preparation for resistance to lawful authority or where the offender has been previously convicted of a like offence, the penalty to be inflicted shall be double of those mentioned in sub-rule (1) above.

23. Repeal :—

On coming into force of these rules, all rules corresponding to these rules in force in any region of the State of Chhattisgarh immediately before the commencement of these rules shall stand repealed.

Provided that anything done or any action taken under any rules so repealed shall unless such thing or action is inconsistent with any of the provisions of these rules, be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of these rules.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
RAM PRAKASH, Addl. Secretary.

FORM—A
[See rule 6 (2)]

Book No. (1)	Counter foil Transit Pass (2)	Page No. (3)

1. Locality of Storage :—

   (a) Range

   (b) Division

2. For forest produce from private land

   (a) Name of panchayat

   (b) Name of Village

   (c) Name of Bhumiswami

   (d) Khasra No.

   (e) Resolution No. and date of recommendation of Panchayat Level Committee.

3. Name and address of owner of forest produce :—

4. Description of forest produce and quantity :—

5. Property mark etc. :—

6. Name of place to which the forest produces is to be transported :—

7. Route by which forest produces is to be transported :—

8. Date of expiry of pass :—

Signature and Seal of Issuing Officer

Signature and Seal of Checking Officer

Note :—1. Second foil will be similar to counterfoil.
2. This transit pass should be produced for checking at all forest barriers of Chhattisgarh State.

FORM—B
[See rule 6 (2)]

To be issued by Gram Panchayat

Book No. (1)	Counterfoil Transit Pass (2)	Page No. (3)

1. Resolution No. and date of recommendation of Panchayat Level Committee.
2. Locality of origin—
   (a) Name of the Panchayat.
   (b) Name of Village.
   (c) Name of the Bhumiswami.
   (d) Khasra Number
3. Name and address of owner of Forest Produce—
4. Description of produce—
   (a) Species
   (b) Number and Volume in Cmt. (Timber)
   (c) Full Stacks (2 x 1 x 1 m)
5. Property Mark.
6. Name of place to which the forest produce is to be transported.
7. Route by which forest produce is to be transported
8. Date of expiry of pass—

Signature and Seal of Issuing Officer

Signature and Seal of Checking Officer

Note :—1. Second foil will be similar to counterfoil.
2. This transit pass should be produced for checking at all forest barriers of Chhattisgarh State.

FORM C
[See rule 6 (2)]

To be issued in lieu of transit pass for forest produce being imported into the state

Book No. (1)	Counter foil Transit Pass (2)	Page No. (3)

1. Locality of origin :—
   (a) Name of place
   (b) Name and Status of forest/depot.
   (c) Name of Seller
2. Name and address of owner of forest produce—
3. Details of Transit pass of imported Timber
   (a) No. and Date
   (b) Issuing Officer
4. Description of forest produce and quantity :—
5. Property mark etc.
6. Name of place where the produce is to be transported.
7. Name of Border checking barrier.
8. Route by which produce is to be transported.
9. Date of expity of pass.
10. Hammer mark.

Signature and Seal of Issuing Officer

Signature and Seal of Checking Officer

Note :—1. Second foil will be similar to counterfoil.
2. This transit pass should be produced for checking at all forest barriers of Chhattisgarh State.

FORM—D
[See rule 17 (2)]

Registration Certificate of import of Forest Produce

Book No. (1)		Page No. (2)
1.	Name and address of forest produce immporter	
2.	Description of Forest produce to be imported	
	(a) Country/State from where forest produce will be imported.	
	(b) Name and approximate quantity of forest Produce to be imported.	
3.	Route by which it will be transported to destination	
4.	Name of destination	
5.	Name of checking barrier/depot where the forest produce will be produced for checking.	
6.	Date of registration	
7.	Period of expiry of registration	

Signature and designation of registering authority.

13

PROFORMA - E
[See rule 17 (3)]

Quarterly account of Timber imported and disposed off during .... to ....

Opening Balance				Quantity of timber imported		Total			Timber sawn			Total quantity after sawing			Quantity consumed or Disposal by sale			closing balance at the end of quarter			Remarks
species	log		sawn material	log		log		sawn	log		Sawn	log		sawn	log		sawn	log		sawn	
	no.	cmt.	cmt.	no.	cmt	no.	cmt	cmt.	no.	cmt	cmt. obtained	no	cmt.	cmt.	no	cmt.	cmt	no.	cmt	cmt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.